

# CORRIDOR SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. of 20

Order or Proceeding with Signature of Parties of

pleaders where Necessary

आज आरक्षी केन्द्र मोहक चण्डिका उपनिरीक्षक / सहचर

उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक की ओर से अपराध

क0 11-7 द्वारा शाना पगारी 13 22.4.2016

क0 21-12-16 23/16 अतर्गत धारा 13 अधिनियम के अधीन दण्डनीय

भा0 दंड0 सं0 अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग

पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण 1. मेधाक डी0 पी0 मा0 प0 रा0 व0 डी

25 नवम्बर 2016 मुद्रा संशोधन कार्यालय 24 मार्च 2016 (उपनिरीक्षक)

निवासी / निवासगण मुद्रा संशोधन कार्यालय को

शाना मोहक चण्डिका जिला मुद्रा राज्य (M.P.)

उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता

श्री मोहक चण्डिका द्वारा मेगोरण्डग / तकालतनागा प्रस्तुत

किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग

पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया

अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार

भा0 दंड0 सं0 / अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के

आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा

190--(1) दंड0 सं0 के अधीन नशान किए जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपगति के पंजी 600395/16 में दर्ज

किया जाये।

अभियुक्त / अभियुक्तगण दंड0 सं0 के धारा 207 के अधीन प्रावधानों

के प्रकाश में अभियोग पत्र पद प्रस्तुत के पदे पदेनीय प्रति निशुल्क दिलाई

जाये।

वृत्ति अपराध जमानत के

कोर सं 7200 / -- (समय के अनुसार इनकी ही शान

किया गया।



तूति मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 130(1) भा0द0सं0 / अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संगत उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोचित को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से दण्डित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए ~~अवसमन तक~~ ~~की अवधि के दण्ड~~ ~~एवं~~ ~~10.2.100~~ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को ~~107~~ दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति ~~1220/-~~ ~~रुपये~~ राजसात चित्ते जाये। संपत्ति ~~1220/-~~ ~~रुपये~~ मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संवयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि क0 ~~100-100/-~~ रुपये अदा की जिसकी पावती बुक अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

क0 ~~68.87~~ रसीद क0 ~~70.21.72~~ दी गई। प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचालित हो।

A.K. Gupta  
Judicial Magistrate first class,  
Golhat Dist. Bhairat (M.P.)

A.K. Gupta  
Judicial Magistrate first class,  
Golhat Dist. Bhairat (M.P.)